न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 26/2019

ताहिर हुसैन पुत्र शकील खांन जाति मुसलमान निवासी बाडियान मौहल्ला सदर चौक, दौसा जिला दौसा

.....अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. कल्लू खां पुत्र सन्नू खां
2. नूर मौहम्मद पुत्र सन्नू खां
3. मौहम्मद इस्लाम पुत्र सन्नू खां
4. मौहम्मद हसान पुत्र सन्नू खां
5. मोबीना पत्नि शकील खां

समस्त जाति मुसलमान निवासी बाडियान मौहल्ला, सदर चौक, दौसा जिला दौसा

6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा

... रेस्पों0

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं० 101 तस्दीक दिनांक 20–8–1990 द्वारा तहसीलदार महोदय दौसा जिसमें अपीलांट का नाम ताहिर हुसैन के स्थान पर मौहम्मद हारून अंकित कर दिया।

उपस्थित– 1. श्री अशोक जोशी, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा ग्राम कस्बा दौसा के पारित नामान्तरण सं0 101 दिनांक 20.8.1996 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार दौसा से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांट को उक्त नामान्तरण बाबत पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि नामान्तरण्ण तस्दीक करते समय अपीलांट नाबालिग था तथा नामान्तरण्ध बाबत कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 4.12.2019 को अपीलांट ने अपने कार्य हेतु जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि खाते में नाम ताहिर हुसैन के स्थान पर मोहम्मद हारून हो रहा है तो अपीलांट ने पटवारी हल्का से पूछने पर बताया कि वर्ष 1990 के नामान्तरण में ही नाम अंकित हुआ है जिसकी नकल जिला अभिलेखागार से प्राप्त करने हेतु दिनांक 5.12.2019 को अरावेदन किया जिसकी नकल दिनांक 6.12.2019 को प्रापत हुई। जिस कारण अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी रफाए हुज्जत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश किया जा रहा है। अतः अपील पेश करने में हुए देरी को क्षमा फरमाते हुए उक्त अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि नामान्तरण आदेश की अपीलांट को पूर्व में ही जानकारी रही है। अपील मियाद बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। उपस्थित अधिवक्तागण की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील अधिकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस उपस्थित अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कस्बा दौसा पटवार हल्का दौसा तहसील दौसा मे बिन्ना देवी बेवा सन्नू खां के नाम कृषि भूमि खाता सं0 385 क्षेत्रफल 4.87 है0 स्थित थी उक्त बिन्ना देवी के नाम दर्ज भूमि के संबंध मे एसडीओ साहब आदेश क्रमांक 243 दिनांक 5–5–90 व तहसीलदार के आदेश क्रमांक 90/2293 दिनांक 9–7–1990 के अनुसरण मे अपीलांट एवं रेस्पो० संख्या 1 ला० 5 के नाम भूमि का नामान्तरण संख्या 101 दर्ज किया गया जिसमे हिस्सा 1/6 मे अपीलांट की माता एवं अपीलांट का हिस्सा 1/6 है। उक्त नामान्तरण के समय अपीलांट नाबालिग नासमझ व्यक्ति था तथा अपीलांट की माता भी अनपढ महिला थी जिस कारण वरवक्त नामान्तरण तस्दीक अपीलांट का नाम ताहिर हुसैन के स्थान पर मौहम्मद हारून अंकित हो गया। जबकि अपीलांट के समस्त पहचान दस्तावेज व अन्य राजकीय व सरकारी कागजात एवं बैंक खाते मे ताहिर हुसैन पुत्र शकील खां ही दर्ज है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 101 योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच के तस्दीक किया है जिसके विरूद्व अपील पेश की जा रही है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व एवं कानूनी प्रक्रियाआ के विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 101 तस्दीक किया गया, उक्त समय अपीलांट नाबालिग था तथा अपने बारे मे सोचने व समझने की शक्ति नही थी अब अपीलांट बालिग हो गया है तथा जयपुर विधुत वितरण निगम लि० मे लाईनमेन के पद पर कार्यरत है तथा अब अपने बारे मे अच्छी तरह समझता है। उक्त नामान्तरण तस्दीक करते समय अपीलांट को नाबालिग समझते हुए अन्य खातेदारान द्वारा ताहिर हुसैन के स्थान पर अबोध बालक समझते हुए प्यार के नाम के अनुसार मौहम्मद हारून अंकित करवा दिया। जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम ताहिर हुसैन है। जिसके संबंध मे शिक्षा संबंधी सभी दस्तावेजात, मतदाता सूची पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड तथा राजकीय सेवा के समस्त दस्तावेजात मे ताहिर हुसैन नाम ही अंकित है तथा ताहिर हुसैन नाम से ही जाना जाता है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण तस्दीक करते समय बिना जांच किये नामो की प्रविष्टि कर दी जिस कारण गलत अंकित नाम को सही करवाने का अपीलांट अधिकारी है। जिस कारण नामान्तरण संख्या 101 निरस्तनीय है तथा पुनः संशोधन किया जाना आवश्यक है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करते समय कोई भी शपथ पत्र व गवाहो के बयान नही लिये तथा अपीलांट के नाबालिग स्थिति मे अपीलांट की माता से भी पूछताछ नही की। तथा बिना कोई विधिक जांच किये अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया है जिस कारण मौहम्मद हारून के स्थान पर ताहिर हुसैन किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तमरण भरते समय व तस्दीक करते समय वास्तविक तथ्यों को देखते हुए तथा नामों की जांच किया जाना आवश्यक होता है किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये नामान्तरण तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 101 को निरस्त कर पुनः मौहम्मद हारून के स्थान पर ताहिर हुसैन अंकित करने हेतुं तहसीलदार दौसा को आदेश फरमावें।

5. रेस्पों0 सं0 1 से 5 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को पूर्व में ही नामान्तरण खोले जाने से पूर्व ही सही अंकन करवाना था। कि यदि नामान्तरण अपीलांट के नाम ही हद तक दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अधिवक्ता की एतकरफा बहस पर मनन किया गया।

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:25 IST
Reason: SelfAttested

8. अपीलांट द्वारा नामान्तरण सं0 101 दिनांक 20.8.1996 को निरस्त करने एवं उसके स्थान पर अपीलांट का सही नाम ताहिर हुसैन (जो कि सहवन से मोहम्मद हारून कर दिया गया है) करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।

9. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नामान्तरण सं0 101 ग्राम कस्बा दौसा का पटवारी हल्का द्वारा बिन्ना देवी पत्नि स्व.सन्नू खां जाति मुसलमान के फौत होने पर बिन्ना देवी की विरासत में वारिसान के नाम कल्लू खां, नूर मोहम्मद, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद हारून पि. सन्नू खां के नाम नामान्तरण भरा गया है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई है। तत्पश्चात दिनांक 20.8.1996 को तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण तस्दीक किया गया है। पत्रावली में संलग्न अपीलांट के आधार कार्ड,बैंक खाता पास बुक, ड्राईविंग लाईसेन्स, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड के अवलोकन से भी यह प्रमाणित होता है कि अपीलांट का नाम ताहिर हुसैन पुत्र शकील अहमद अंकित है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 101 वाके ग्राम कस्बा दौसा पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.8.1996 को अपीलांट के नाम (मोहम्मद हारून पुत्र शकील खां)की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर,उक्त विवादित खसरा नंबर में अन्य पक्षकरान को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं अन्य साक्ष्य जो अधीनस्थ न्यायालय को उचित लगे एकत्रित कर, इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट दिनांक 19.6.2025 को न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करें जिस पर तहसीलदार दौसा द्वारा अपना आदेश पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official